न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/766

1. प्रभूराम पुत्र श्री ओबाजी, उम्र 42 वर्ष, जरिये माता श्रीमती मजूंबेन पत्नी श्री ओबाजी, उम्र 65 वर्ष निवासी धनपुरा, पुलिस थाना हमीरगढ जिला बनासकाटा गुजरात वर्तमान पत्ता जूजापुरा, खेड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही हाल विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह दौसा

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक,
2. जिला कलक्टर पैरोल कमेटी, दौसा।
3. जेल अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नही**
2. **श्री सुभाष शर्मा डीएलआर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ओर से**

निर्णय

दिनांकः 18.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के नियम 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय सिरोही द्वारा आदेश दिनांक 24.08.2017 को प्रकरण संख्या 25/2012 में दण्डादेश दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रीमिनल अपील संख्या 1426/2017 दायर की जो लम्बित है। उन्होने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी उक्त सजा पिछले 10 वर्षो से केन्द्रीय कारागृह दौसा में सदाचरण के साथ भुगत रहा है, इस दौरान अपीलार्थी ने द्वितीय पैरोल 30 दिन की दिनांक 15.06.2019 से 16.07.2019 तक भुगतने हेतु रिहा हुआ जिसे दिनांक 16.07.2019 को हाजिर होना था लेकिन निश्चित समय हाजिर नही होकर पुनः 15.12.2019 को 4 माह 29 दिन बाद हाजिर हुआ जिस कारण पैरोल नियम के उल्लंघन के पश्चात् पुनः नियमित 7 दिवसीय पैरोल नियम 20(2) के तहत माननीय जिला पैरोल कमेटी दौसा के समक्ष दायर की जिसे आदेश दिनांक 10.05.2022 को खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रीमिनल रिट याचिका संख्या 390/2022 दायर की जिसे निर्णित करते हुये निर्देश दिये गये कि नियम 18 के तहत श्रीमान् के समक्ष अपील दायर करें। इस कारण आदेश दिनांक 14.11.2022 की अनुपालना में जिला पैरोल कमेटी दौसा के आदेश दिनांक 10.05.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी 10 वर्ष से भी अधिक की सजा भुगत चुका है एवं यह नियमित पैरोल नियम 20 (2) राजस्थान बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के तहत निर्धारित 2 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत कर रहा है, अपीलार्थी दिनांक 16.07.2019 से 15.12.2019 तक पैरोल जम्प किया गया जो दिनांक 15.12.2019 से 15.12.2021 तक 2 वर्ष का समय पूर्ण होने के पश्चात् यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो माननीय जिला पैरोल कमेटी ने बिना उचित कारण के निरस्त कर दिया जो काबिले खारिज है। उन्होने यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी को नियमित 7 दिवसीय पैरोल के संदर्भ में उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिरोही द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.04.2022 के तहत अभिशंषा करते हुये बंदी को नजदीक पुलिस थाना में प्रतिदिन उपस्थिति की पाबंदी पर पैराल अवकाश स्वीकृत किया जाना उचित बताया, जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा रिपोर्ट दिनांक 08.04.2022 को प्रस्तुत की गई जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः रिपोर्ट नही किये जाने एवं केवल जिला परीवीक्षा अधिकारी एवं जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही पैरोल लिया जाना उचित है, इस प्रकार जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपनी रिपोर्ट 21.04.2022 के तहत समाज कल्याण की रिपोर्ट के अधार पर पैरोल दिया जाना उचित बताया, इस प्रकार निराधार एवं मनमाने ढंग से पुलिस द्वारा मात्र अपराध की गंभीरता के आधार पर बनायी गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने कई न्यायिक निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि आपात पैराल या पैरोल अपराध की गंभीरता एवं जघनीयता के आधार पर पैरोल आवेदन खारिज किया जाना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जबकि पैरोल बंदी को समाज में पुनः स्थापित होने एवं अपराध से सुधरने का एक अवसर एवं दपर्ण है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी का पैरोल के दौरान एवं जेल आचरण संतोषप्रद रहा है एवं भविष्य में भी इसी तरह संतोषप्रद रखने का पूर्ण विश्वास दिलाता है, अपीलार्थी श्रीमान् के द्वारा लगाई जाने वाली समस्त शर्तो का पालन करने के लिए तत्पर रहेगा, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2022 के निर्देश के पश्चात् अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 10.05.2022 को खारिज कर अपीलार्थी को 7 दिवसीय पैरोल पर रिहा करने के आदेश पारित फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरावाईज टिप्पणी प्रस्तुत की गई है जिसमें अंकित किया गया है कि जिला पैरोल परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 10.05.2022 को आयोजित की गई जिसमें पुलिस अधीक्षक दौसा, अधीक्षक विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास जिला दौसा, उप अधीक्षक जिला कारागृह दौसा, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दौसा उपस्थित, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण में क्रम संख्या 1 पर दंडित बंदी प्रभूराम पुत्र ओबाजी(अपीलार्थी) के प्रार्थना पत्रानुसार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गांव जूजापुरा खेड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही के तृतीय 7 दिवस नियमित पैराल के प्रकरण पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विचार विमर्श किया गया, प्रकरण में दण्डित बंदी प्रभूराम पुत्र ओबाजी को परीवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बनासकांटा गुजरात की अप्राप्त रिपोर्ट तथा अधीक्षक विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास ने दण्डित बंदी के द्वितीय नियमित पैरोल से दिनांक 16.07.2019 से 15.12.2019 तक कुल 4 माह 29 दिन तक पैराल से फरार होने के कारण पैरोल की अनुशंषा नही की गई, को दृष्टिगत रखते हुये दण्डित बंदी के 7 दिवसीय तृतीय नियमित पैरोल प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श करने के उपरान्त दण्डित बंदी को पैरोल पर रिहा नही किया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अतः बंदी के द्वितीय नियमित पैरोल में 4 माह 29 दिन फरार रहने के कारण अपीलार्थी/दण्डित बंदी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि यदपि राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–12) विभाग के पत्र दिनांक 16.06.2016 द्वारा जारी परामर्शी में बंदी के प्रथम/पूर्व में नियमित पैरोल के उपयोग के दौरान आचरण/व्यवहार संतोषजनक रहा है, बन्दी ने पैरोल शर्तों की पूर्णतः पालना की हो और बन्दी नियत तिथि/समय पर वापस कारागार में दाखिल हो गयो हो तो उन बन्दियों के द्वितीय/नियमित पैरोल में जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट ली जाना आवश्यक नही होकर केवल जिला परीवीक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित जेल अधीक्षक की रिपोर्ट लिये जाने के निर्देश प्रदान है तथा अधीक्षक विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास जिला दौसा ने अपीलार्थी/दण्डित बंदी के द्वितीय नियमित पैराल से दिनांक 16.07.2019 से 15.12.2019 तक कुल 4 माह 29 दिन तक पैरोल से फरार होने के कारण पैरोल की अनुशंषा नही की गई। इस प्रकार अपीलार्थी द्वितीय पैरोल के समय 4 माह 29 दिन पैरोल से फरार रहा है जिससे अपीलार्थी के उक्त आचरण/व्यवहार को संतोषजनक नही माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त ही दंडित बंदी को पैराल पर रिहा नही किये जाने का सर्वसम्मति से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2022 लिया गया है जो उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/1/23

संभागीय आयुक्त,